न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू :– 28.06.2017

मुकदमा नं0 :– 29/2017

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

1. मूल्याराम
2. हरकेश
3. रामनिवास

पिसरान कल्ला जाति मीना निवासी गांवडी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————— प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली———————— अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् कृषि भूमि की सीमा पत्थर गढी कर निशिचित करने बाबत्</u>

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिंनाक :– 18.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् कृषि भूमि की सीमा पत्थर गढी कर निशिचित करने बाबत् खिलाफ अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता सं0 28 खसरा नम्बर 834 रकबा 0.30 है0, 956 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम गांवडी व अन्य खसरा की भूमि स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 834 व 956 के अडौस पडौस के [illegible] द्वारा भूमि की सीमा को लगभग मिटा दिया है, उक्त भूमि की सीमा को [illegible] अडौसी–पडौसी [illegible]दारों से सायलान के आये दिन विवा[illegible] इसलिए उक्त भूमि [illegible] सीमा निश्चित करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी से उक्त भूमियों की सीमा निश्चित करने एवं पत्थरगढी करवाने के लिए कई बार उनके कार्यालय में मौखिक व लिखित में निवेदन किया है लेकिन उनके द्वारा आज दिनांक 18.05.2017 तक बाबूद निवेदन उक्त खसरों की सीमा का निश्चयकरण कर पत्थरगढी नहीं करवायी है, इसलिए प्रार्थना पत्र हाजा अन्दर मियाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 834 व 956 स्थित ग्राम गांवडी की सीमाओं का निश्चयकरण कर, सायलान की पत्थरगढी करवाने के लिए माकूल आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव पेश नहीं किया तथा दिनांक 08.02.2021 को अप्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 73 एवं नकल नक्शा ट्रेस पेश की हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 834 रकबा 0.30 है0, 956 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम गांवडी तहसील हिण्डौन की खातेदारी मूल्याराम हरकेश रामनि[illegible]ह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:53 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार [illegible] यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 834 रकबा 0.30 [illegible] 956 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम गांवडी तहसील हिण्डौन प्रार्थीगण मूल्याराम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

हरकेश रामनिवास पि0 कल्ला जाति मीना निवासी गांवडी तहसील हिण्डौन की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है, जिसका प्रार्थीगण नियमानुसार पैमाईश करवाकर पत्थर गढी करवाना चाहते हैं। जिसका प्रार्थीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण व उनकी उक्त खातेदारी के पडौसी खातेदारों के मध्य डौल मेढ को लेकर आपस में विवाद की स्थिति आगे और नहीं बढे तथा आम शान्ति कायम रहे इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त भूमि की नियमानुसार पैमाईश करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् कृषि भूमि की सीमा पत्थर गढी कर निश्चित करने खिलाफ अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 834 रकबा 0.30 है0, 956 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम गांवडी तहसील हिण्डौन की नियमानुसार पैमाईश करते हुए पत्थरगढी करवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 18.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

18.02.2021
सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.22 18:06:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner